

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर :- 60/2025 जी.सी.एम.एस नम्बर :- 2025/198	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। मूल पत्रावली तलब की गयी। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण ने बहस में बताया कि ग्राम जेतडासर के खसरा नंबर 923/2907 रकबा 6.0298 हैक्टेयर भूमि का विभाजन हेतु वाद पेश किया था। उक्त आराजी भूमि में वादीगण ने उपरोक्त वर्णित खसरान् में कब्जा काश्त अनुरूप प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत इस्तदुआ चाही थी तहसीलदार बाप ने माफिक प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन निर्णय टंकण करते समय माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारों के नाम टंकण करने से रह गया। इसलिए उक्त अंतिम निर्णय/डिक्री पर्चा में सारणी के कम संख्या 2 में पक्षकारान के नाम विभाजन प्रस्ताव अनुसार टंकित करते से छूट गये जिसे माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार संशोधित किये जाने का आदेश जारी करावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय/डिक्री पर्चा, विभाजन प्रस्ताव इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वाद के आदेश में सहवन से सारणी में कम संख्या 2 पर नखताराम, बीरबलराम, मुलतानाराम पुत्र भोजाराम 1/3 के साथ तीजोदेवी, बरजू, भंवरीदेवी, लक्ष्मीदेवी, बाधूदेवी पुत्री भोजाराम टंकित होने छूट गया जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।</p> <p><b>आदेश</b></p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 147/2023 अनवान भगवानाराम वगैरा बनाम खेमराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रियात्मक आदेश/डिक्री पर्चा में सारणी के कम संख्या 2 पक्षकारान का नाम में भोजाराम, नखताराम, बीरबलराम, मुलतानाराम पुत्र भोजाराम 1/3 के स्थान पर नखताराम, बीरबलराम, मुलतानाराम पुत्र भोजाराम, तीजोदेवी, बरजू, भंवरीदेवी, लक्ष्मीदेवी, बाधूदेवी पुत्री भोजाराम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा उक्त कॉलम में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया।</p>	

23/5/25

(सहायक कलेक्टर)  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी) बाप (फलोदी)